राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.6(1)(11)निरी./मीटिंग/2015–16/ दिनांक :

परिपत्र

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–6/निरी/मीटिंग/1578–90 दिनांक 20.10.2005 एवं क्रमांकः एफ. 6(1)(11)निरी/मीटिंग/2014/1069–1244 दिनांक 05.06.2014 के अतिक्रम में प्रशासनिक सुधार (अनु–2) विभाग के पत्रांक प.3(39)प्र0सु0/अनु.2/97 दिनांक 28.04.2011 एवं क्रमांकः प.3(3)प्र.सु./टाइम्स/2013 दिनांक 03.02.2014 एवं क्रमांकः प.3(8)प्रसु/टाईम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 की पालना में विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे/रात्रि विश्राम वर्षवार निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते है:–

क्र. सं.	निरीक्षण अधिकारी	निरीक्षण कार्यालय	वर्ष के दौरान निरीक्षण		
			दौरे	निरीक्षण की सं0	रात्रि विश्राम
1.	महानिरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक/ उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालय	12	24	12
2.	अतिरिक्त महानिरीक्षक, (प्रशासन/प्रवर्तन) जयपुर/अजमेर	स्वयं का/उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालय/जिला कोषाधिकारी	18	36	12
3.	वित्तीय सलाहकार,	स्वयं का/उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालय/जिला कोषाधिकारी	06	12	–
4.	अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर	स्वयं का/वृत के उप पंजीयक कार्यालय	–	60	–
5.	समस्त उप महानिरीक्षक,	स्वयं का/वृत के उप पंजीयक कार्यालय	30	60	12

विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे/रात्रि विश्राम माहवार निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते है।

क्र. सं.	अधिकारी	कार्यालय	माह के दौरान निरीक्षण		
			दौरे	निरीक्षण की सं0	रात्रि विश्राम
1.	महानिरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक/ उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालय	01	02	01
2.	अतिरिक्त महानिरीक्षक, (प्रशासन/प्रवर्तन) जयपुर/अजमेर	स्वयं का/उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालय/जिला कोषाधिकारी	02	03	01
3.	वित्तीय सलाहकार,	स्वयं का/उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालय/जिला कोषाधिकारी	01	01	–
4.	अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर	स्वयं का/वृत के उप पंजीयक कार्यालय	–	05	–
5.	समस्त उप महानिरीक्षक,	स्वयं का/वृत के उप पंजीयक कार्यालय	03	05	01

उक्त समस्त अधिकारीगण उपरोक्त अनुसार प्रतिमाह अपने दौरे, निरीक्षण करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट राजस्थान सम्पर्क वेबसाइट पर अपलोड़ कर उसकी एक प्रति विभाग को भिजवाना सुनिश्चित् करें। प्रशासनिक सुधार विभाग के दिशा–निर्देशो के तहत् 01 जून 2014 से आपको आवंटित लक्ष्यो अनुसार दौरे निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम की फिडिंग राजस्थान सम्पर्क वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। इस हेतु प्रत्येक माह की सूचना आगामी माह की 10 तारीख से पूर्व फिडिंग करना सुनिश्चित् करें। अन्यथा उक्त माह की सूचना शून्य होकर फ्रीज हो जायेगी, फ्रीज होने के पश्चात् उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

अतः इस कार्य को विशेष प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित् करावें। अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक जब भी अपने वृत के उप पंजीयक कार्यालयों के निरीक्षण के लिये जब भी जाए उस स्थान पर स्थित प्रमुख लोक कार्यालयों का निरीक्षण भी अवश्य करें। लोक कार्यालयो के किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट का रजिस्टर संधारित कर उसमें इन्द्राज करें तथा निरीक्षण रिपोर्ट विभागीय परिपत्र संख्या 24/09 एवं 17/15 के सभी संलग्न प्रारूप में विभाग को भिजवाते हुए राजस्थान सम्पर्क वेबसाइट पर भी फीड कराना सुनिश्चित् करें।

राज्य सरकार द्वारा वित्त विधेयक, 2013 में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा–85 मं संशोधन कर लोक कार्यालयों के निरीक्षण हेतु तहसीलदार स्तर तक के अधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है।

अतः समस्त उप पंजीयको को भी निर्देश दिये जाते है कि लोक कार्यालयो के निरीक्षण के संबंध में विभाग के द्वारा जारी पूर्व परिपत्रों में दिये गये निर्देशो एवं विभाग के परिपत्र संख्या 24/09 एवं 17/15 में दिये गये निर्देशो को दृष्टिगत अपने क्षेत्र में स्थित प्रत्येक लोक कार्यालय का तीन माह में एक बार निरीक्षण अवश्य किया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित् करें। उक्त निर्देशो के अनुसार निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जाये।

उक्त निदेशों की किसी भी अधिकारी द्वारा की गई अवहेलना, लापरवाही परिलक्षित होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Sd/-

(के.बी. गुप्ता)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.6(1)(11)निरी./मीटिंग/2014–15/ 447-654 दिनांक : 06-4-16

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके परिपत्र क्रमांकः प.3(3)प्र.सु/टाइम्स/2013 दिनांक 24/12/2014 के क्रम में प्रेषित कर निवेदन है कि संशोधित निर्धारित निरीक्षणो/दौरे/रात्रि विश्राम के लक्ष्य आपके पोर्टल पर डालने का श्रम करावें।
2– शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3– समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक राजस्थान।
4– वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5– पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यो के अवलोकनार्थ।
6– वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय अजमेर।
7– उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी मुख्यालय, अजमेर।
8– अतिरिक्त महानिरीक्षक, (प्रशासन/प्रवर्तन) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
9– अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401 ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
10– समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) राजस्थान।
11– समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
12– मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत–जयपुर/जोधपुर।
13– उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14– उप निदेशक (कम्प्यूटर) मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की बेवसाईट **igrs.rajasthan.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
15– समस्त आन्तरिक लेखा जांचदल मुख्याल, अजमेर।
16– निजी सचिव महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17– समस्त शाखाएँ मुख्यालय, अजमेर।

महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर

E:\SURENDRA SINGH\Vensi ji\F6 Letter1.doc